न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दयाराम बनाम मदनलाल वगै0

किस्म मुकदमाः– 225/कोटा मिसल नं0 2025/245

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
17/07/2025	विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2020 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण संख्या 15/17 एवं प्रकरण संख्या 39/20 की पत्रावली को तलब कर उभयपक्षकारान की बहस सुनकर नवीन निर्णय पारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संख्या 39/2020 करके रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.06.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट द्वारा दिनांक 24.07.1987 को खरीद की गई है तथा खरीद दिनांक सें ही अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का मकान बना हुआ है तथा अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर बने अपने मकान में निवासरत है। रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय इटावा के प्रकरण संख्या 13/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2017 में वादग्रस्त भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। निर्णय दिनांक 04.07.2017 के विरूद्ध	

माननीय जिला सिविल न्यायालय कोटा द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय सिविल जज इटावा में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद संख्या 14/2017 को गुणावगुण पर खारिज किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा होने के तथ्य को प्रमाणित करवाए बिना तथा अपीलांटगण का कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 की आड़ में रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 की क्रियान्विति स्थगित किया जाना आवश्यक है। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 की क्रियान्विति अंतरिम रूप से स्थगित किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीयबहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.06.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.06.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.06.2025 में उभयपक्षकारान के विरूद्ध विवादित आराजी के मोके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है तथा प्रकरण में आगामी पेशी 15.05.2015 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.06.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलांट अधीनस्थ

न्यायालय में आगामी पेशी पर विधिक प्रकिया के तहत जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांटगण का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 2021/00047 एवं अपील संख्या 2021/00048 में समेकित रूप से पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 में न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/2017 एवं प्रकरण संख्या 39/2020 दोनो में समस्त अप्रार्थीगण को तलब करके जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने के उपरांत उभयपक्षकारान की बहस सुनकर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रकरण संख्या 39/2020 की पत्रावली को तलब करते हुए, अपीलांटगण को सुने बिना ही एकपक्षीय रूप से प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.06.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 16.08.2021 की फोटोप्रति पेश की है। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण संख्या 15/17 एवं प्रकरण संख्या 39/20 में समस्त अप्रार्थीगण को तलब करके जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.08.2021 की पालना में अप्रार्थीगण अपीलांटगण को तलब किए बिना ही एवं जवाब प्रार्थना–पत्र लिए बिना ही एकपक्षीय बहस सुनकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.06.2025 पारित किया गया है जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.08.2021 में अंकित निर्देशों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 की पालना स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 की पालना अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर, न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.08.2021 में अंकित निर्देशों की पालना करते हुए प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा